न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.
पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/ 2019 **दायर तारीख** 25.04.2019

1. कैलाशीदेवी पुत्री जगदीश पत्नी हनुमान जाति ब्राहम्ण निवासी माधवा तह. परबतसर जिला नागौर।

---: *अपीलान्ट*

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत भकरी
2. तहसीलदार परबतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक बागोट
4. पटवारी हल्का भकरी

— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2012 नामान्तकरण संख्या 1208 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी कैलाशीदेवी ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम भकरी मौलास की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1035/637 रकबा 0.0400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1036/636 रकबा 0.0800 हैक्टयर खसरा नम्बर 12 रकबा 0.6100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.83 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 6, 419/2, 420/1, 422, 424 थे। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं। अपीलान्ट ने बताया हैं कि अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम शांतिदेवी पुत्री जगदीश प्रसाद लिखा हुआ हैं जो अपीलान्ट का बोलता नाम हैं जबकि अपीलान्ट की वास्तविक नाम

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

कैलाशीदेवी हैं जिस बाबत राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड व शपथ पत्र से स्पष्ट है। भकरी मौलास में कैलाशी देवी पुत्री जगदीश प्रसाद नाम से अन्य कोई महिला नहीं हैं एक मात्र अपीलान्ट हैं राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ हैं। अपीलान्ट ने अपील पेश कर नामान्तकरण संख्या 1208 ग्राम भकरी मौलास को इस हद तक संशोधन करने का निवेदन किया हैं कि अपीलान्ट का नाम शांतिदेवी पुत्री जगदीश प्रसाद के स्थान पर कैलाशीदेवी पुत्री जगदीश प्रसाद दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त हाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तकण संख्या 1208 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संम्वत 2073–76 की प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड , राशन कार्ड, आधर कार्ड, की छाया प्रतियां पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट को घर पर लाड़ प्यार से शांदिदेवी बोलते थे तथा वास्तविक नाम कैलाशीदेवी था। अपीलान्ट के पिता जगदीश प्रसाद का स्वर्गवास होने पर फौतगी नामान्तकरण उसकी जाईन्दा पुत्रियों गीतादेवी, शारदादेवी, शांतिदेवी, भूरादेवी, संतूदेवी, भगवतीदेवी के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जिसमें अपीलान्ट का नाम कैलाशीदेवी के स्थान पर शांतिदेवी दर्ज कर दिया जो गलत हैं। अपीलान्ट के अन्य सभी दस्तावेजात में नाम कैलाशीदेवी दर्ज हैं जिससे अपीलान्ट इस नामान्तकरण में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती हैं।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1208 ग्राम भकरी मौलास के 6, 419/2, 420/1, 422, 424 के खातेदार

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

जगदीशप्रसाद पुत्र रिधाराम ब्राहम्ण सा. देह के फौत होने पर जरिये विरासत के दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा फौत हुए खातेदार के वारिसान द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी करने पर उनके नाम से दर्ज किया गया हैं। जिसकी जांच भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई हैं नामान्तकरण व वारिस प्रमाण पत्र में जो नाम दर्ज थे उनका अंकन सही होना बताया हैं जिसके बाद ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव लेकर स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट ने वारिस प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हैं जिसमें अपीलान्ट का नाम कैलाशीदेवी अंकित हो व नामान्तकरण में शांतिदेवी अंकित कर दिया हो। अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि होना सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट द्वारा लगभग 7 वर्ष बाद पेश की हैं। अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 06.08.2012 को स्वीकृत किया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.042019 को अपील पेश कर नामान्तकरण को खाजिर कराना चाहा हैं स्पष्ट हैं कि उक्त अपील मयाद बाहर हैं तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जाने के करण अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)